न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ जिला- श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—अशोक सांगवा R.A.S.

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः—08/2025 (खाद्य पदार्थ नमूना संख्या के—2598)

राजस्थान सरकार जरिये श्री हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

—प्रार्थी

बनाम्

श्री रामकुमार पुत्र श्री रजीराम (मालिक व विक्रेता) वार्ड नं.—06 गेहताव कॉलोनी, नई मंडी घडसाना **मैसर्स— यशपाल अमित कुमार मारूति किरयाना स्टोर के पास, घडसाना।**

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(।।), 51 FSSA Act 2006

—:निर्णयः—

दिनांकः—17.07.2025

यह इस्तगासा **श्री हेतराम**, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(।।) व **धारा 51** के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार है—

यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी **श्री हेतराम** दिनांक 26.11.2024 को समय—11:30 ए.एम बजे **मैसर्स—यशपाल अमित कुमार मारूति किरयाना स्टोर के पास, घडसाना** पर पहुँचा। मौके पर विक्रेता **श्री रामकुमार पुत्र श्री रजीराम (मालिक व विक्रेता)** को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे एक लोहे के टिन में लगभग 35—40 किलो **हल्दी पाउडर (खुला)** रखा हुआ, के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान के अंदर एक लोहे के टिन में 35—40 किलों **हल्दी पाउडर (खुला)** को आमजन को बेचान के वास्ते बताया। मुझे इसी **हल्दी पाउडर (खुला)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **हल्दी पाउडर (खुला)** का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नं.—5 ए भरकर देते हुए वयक्त की मौके पर ही विक्रेता को फार्म नं.—5 ए भरकर दिया, जिस पर विक्रेता, गवाहान के व मैंने हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **हल्दी पाउडर (खुला)** में से 02 किलों हल्दी पाउडर को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **हल्दी पाउडर (खुला)** का नगद भुगतान **560/**—रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता, गवाहान व मैंने हस्ताक्षर है। कैशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **श्री रामकुमार पुत्र श्री रजीराम (मालिक व विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं मैंनें भी हस्ताक्षर किए। फार्म सं 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **श्री रामकुमार पुत्र श्री रजीराम (मालिक व विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फॉर्म सं.—5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन हैं।

तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **हल्दी पाउडर (खुला)** 02 किलों को बराबर भागों में वांटकर साफ—सुथरे व सुखे 04 डिब्बों में भरकर प्रत्येक डिब्बे के ढक्कन को कसकर बंद कर लिया। 04 डिब्बों पर लेवल तैयार कर चिपकाये ओर लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड़ एवं क्रमांक **के—2598** दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के—2598** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे मालिक श्री रामकुमार एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म न. 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म न 6 की प्रति नमून के आउटर कवर मे सीलबद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस मे खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म स 6 की पृष्ठ पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ सलग्न है। शेष दो सील बद नमूना भाग मय फॉर्म न 6 की दो प्रतिया एव नमूना भाग मय फार्म स 06 की एक प्रति के आउटर कवर मे सील बद कर डी ओ एव मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ सलग्न है।

खाद्य विश्लेषक बीकानेर से नमूने की जाच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्र क्रमाक FSSA/2024/1476-78 दिनांक** 24.12.2024 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एव मालिक के द्वारा वास्ते नमूना जाच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर (खुला)** का नमूना **Contravenes of regulation No.2.3.14(15) of food safety and standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulaion,2011 as sold in loose condition** होना पाया गया, भेजकर उक्त प्रकरण से सबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा।

खाद्य विश्लेषक बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्र क्रमांक FSSA/2024/1476-78 दिनांक 24.12.2024** के द्वारा रजि. डाक से सूचित किया गया परंतु नमूना विक्रेता व मालिक ने रेफरल फूड लैब से जांच करवाने हेतु कोई आवेदन नही किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री हेतराम ने श्रीमान् अभिहित अधिकारी, श्रीगंगानगर को दिनांक 13.02.2025 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। उक्त पत्र परिवाद संग संलग्न है।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक–एफएसएसए/2025/242–43 दिनांक 18.02.2025 संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है जो मूल न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी **श्री रामकुमार पुत्र श्री रजीराम (मालिक व विक्रेता)** से खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (खुला) **Contravenes of regulation No.2.3.14(15) of food safety and standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulaion,2011 as sold in loose condition** का विक्रय करके **खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) (ii)** का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। श्रीमान् जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण मे विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजि. कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पर नोटिस तामिल होने के उपरांत अधिवक्ता श्री नरेन्द्र चुघ उपस्थित हुये एवं जवाब पेश कर निवेदन किया कि परिवाद पत्र की मद सं.–1 जिस तरह से दर्ज की गई है अस्वीकार है। मद सं.–2 अस्वीकार है तथा रिकॉर्ड की विषयवस्तु है। इसके साथ यह भी दर्ज किया जाना उचित है कि हेतराम खाद्य सुरक्षा अधिकारी का केवल श्रीगंगानगर जिले के लिए नियुक्त किया गया था अनूपगढ जिले के लिए नहीं। दिनांक 26.11.2024 को अप्रार्थी से ना तो सैम्पल लिया गया ओर ना ही हेतराम खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनूपगढ जिला क्षेत्र मे सैम्पल लेने के लिए अधिकृत था। मद सं.–3 अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी द्वारा ना तो हल्दी पाउडर बेचा गया और ना ही अप्रार्थी द्वारा 560/–रूपये नकद प्राप्त किये गये। मद सं.–4 अस्वीकार है। अप्रार्थी की संस्थान पर दिनांक 26.11.2024 को ना तो 5 ए की प्रतियॉ पर सुनवाई की गई ओर ना ही कोई हस्ताक्षर लिए गए। मद सं.–5 अस्वीकार है एव मद सं.–6,7 रिकॉर्ड की विषयवस्तु है। मद सं.–8 भी अस्वीकार है एवं मद सं.–9,10 रिकॉर्ड की विषयवस्तु है। मद सं.–11 अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी की संस्थान से ना तो कोई हल्दी पाउडर खरीदा गया है ओर ना ही कोई सैम्पल भरा गया है। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र की कार्यवाही निरस्त फरमाई जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर (खुला)** के नमूना जाच की खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट **क्रमांक L.S.1531/Act/2024/1531 दिनांक 06.12.2024** में खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर (खुला) एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51** का उल्लंघन करते हुए नमूना **के–2598 Prohibition and Restrictions on sales** पाया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(I I) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह प्रमाणित होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ उसकी दुकान से क्रय किया गया था। अप्रार्थी द्वारा **Prohibition and Restrictions on sales** खाद्य

पदार्थ, उपभोक्ता द्वारा पूरी कीमत चुकाने के बावजूद बेचना उपभोक्ता के विश्वास के बंध को तोड़ता है जो एक उपभोक्ता एवं दुकानदार के बीच होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दुकानदार/विक्रेता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल-भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी द्वारा **Prohibition and Restrictions on sales** के तहत खाद्य पदार्थ बेचकर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(II), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(II), 51** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर (खुला)** हेतु **श्री रामकुमार पुत्र श्री रजीराम (मालिक व विक्रेता) मैसर्स-यशपाल अमित कुमार मारूति किरयाना स्टोर के पास, घडसाना** द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **हल्दी पाउडर (खुला) Contravenes of regulation No.2.3.14(15) of food safety and standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulaion,2011 as sold in loose condition** पाये जाने पर **10,000/-रूपये (दस हजार रूपये)** आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक-17.07.2025 को सुनाया गया।

(अशोक सांगवा) आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ